Political Science (Social Science)

B.A (HONS) DP-I. Paper-II. French Prime Minister

Topic:-

8 "फ्रांस के प्रधानमंत्री के कार्य एवं अधिकारों का वर्णन करें।"

Ans. - 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय से ही फ्रांस में प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण रहा है। तृतीय गणतंत्र के समय में फ्रांस में प्रधानमंत्री का पद था, लेकिन फ्रांस के संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं था। सबसे पहले चतुर्थ गणतंत्र के संविधान द्वारा प्रधानमंत्री पद को कानूनी मान्यता प्रदान की गयी है और उसे मंत्रिपरिषद का प्रधानत्व प्रदान किया गया। पंचम गणतंत्र के संविधान में भी प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है और उस पद का फ्रांस की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है।

पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा प्रधानमंत्री को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किये गये हैं और कार्यपालिका क्षेत्र में वह राष्ट्रपति के बाद सर्वप्रमुख अधिकारी है। अनुच्छेद 12 के अनुसार प्रधानमंत्री शासन का मुख्य संचालक है। शासन के संचालन में यह राष्ट्रपति का दाहिना हाथ है। राष्ट्रपति अपने मुख्य अधिकारों का प्रयोग उसी के माध्यम से करता है। आवश्यकता पड़ने पर वह राष्ट्रपति के स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उच्च परिषदों और समितियों का सभापतित्व कर सकता है। राष्ट्रपति उसे मंत्रि परिषद का सभापतित्व करने का अधिकार भी दे सकता है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य परामर्श दाता है। उसके परामर्श से राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा कर सकता है और राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है और उसकी मंत्रणा पर वह उन्हें पदच्युत भी कर सकता है। उसके त्याग-पत्र का अर्थ पूरी मंत्रिपरिषद का संहार है। वह मंत्रिमंडल की गुप्त बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसे नेतृत्व प्रदान करता है। मंत्रियों के बीच विभागों का बँटवारा तथा उसके कार्यों का निरीक्षण करना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण कार्य और विनाश पर व्यापक प्रभाव डालता है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह राज्य के सशस्त्र बल को आवश्यक निर्देश दे सकता है। संविधान की 13 वी धारा में उल्लेख किये गये कुछ पदों को छोड़कर वह अन्य सैनिक तथा असैनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।

प्रधानमंत्री को विधायी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। उनके द्वारा संसद में विधायी प्रस्ताव रखने का कार्य किया जा सकता है। संसद का सदस्य न होते हुए भी वह कानून निर्माण के क्षेत्र में शासन का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह संसद, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक सम्पर्क सूत्र का कार्य करता है और शासन की दो प्रमुख शाखाओं – व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच तालमेल बनाये रखता है।

पंचम गणतंत्र के संविधान निर्माता राष्ट्रपति को प्रभावशाली स्थिति प्रदान करना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रपति की निरंकुशता से भी भय था। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था न केवल राष्ट्रपति के एक सहायक और परामर्शदाता, वरन् राष्ट्रपति पर कुछ अंकुश भी रखने वाले पदाधिकारी के रूप में की गयी है। इसी कारण संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि संविधान की धारा 8, 11, 12, 16, 18, 54, 58 और 61 में उल्लिखित राष्ट्रपति के कार्यों को छोड़कर उसके शेष कार्यों से संबंधित आदेशों पर प्रधानमंत्री के प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक है।

चतुर्थ गणतंत्र में प्रधानमंत्री पद की स्थिति दुर्बल थी और इसका सबसे प्रमुख कारण संयुक्त मंत्रिमंडल था। संयुक्त मंत्रिमंडल होने के कारण मंत्रिमंडल के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों के होते थे और एक राजनीतिक दल विशेष के नेता प्रधानमंत्री के लिए यह संभव नहीं था कि वह अपने सभी सहयोगियों पर

पूर्ण नियंत्रण रख सके। अतएव प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सभा के सम्मुख दुर्बल था। लेकिन इस काल में भी पॉनकेयर जैसे अपवादस्वरूप प्रधानमंत्री हुए थे, जिन्होंने कठोरता के साथ शासन किया।

पंचम गणतंत्र के संविधान का उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका की स्थिति को सुदृढ़ करना था। इस दृष्टि से न केवल राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की गयी वरन् प्रधानमंत्री की स्थिति में भी सुधार किया गया। पंचम गणतंत्र के संविधान की धारा 22 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अब प्रधानमंत्री के प्रत्येक कार्य और आदेश पर उनके किसी सहयोगी के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में भी अब उसके अधिकार पहले से अधिक हो गये हैं। वह शासन का प्रमुख संचालक है और राष्ट्रपति का विश्वास प्राप्त होने पर वह असीमित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

इतना होने के उपरान्त भी प्रधान प्रधानमंत्री बहुत अधिक शक्तिशाली पदाधिकारी नहीं है। यद्यपि प्रधानमंत्री पर राष्ट्रीय सभा का नियंत्रण पहले की तुलना में कम कर दिया गया है, लेकिन अब भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की धारा 50 के अनुसार राष्ट्रीय सभा 'निन्दा प्रस्ताव' (Vote of censure) पारित कर मंत्रिपरिषद् को पदच्युत कर सकती है। इसके साथ ही गणतंत्र के संविधान द्वारा जहाँ राष्ट्रीय सभा के साथ संबंध के विषय में प्रधानमंत्री की स्थिति में सुधार किया गया है, वहाँ राष्ट्रपति के साथ संबंध के विषय में प्रधानमंत्री की स्थिति पहले से दुर्बल कर दी गयी है। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की निर्बल स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकता है, जैसा कि प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपतियों ने जार्ज पाम्पिदू और शेबा देल्मा के संबंध में किया वह प्रधानमंत्री को

सरकार के पुनर्गठन का आदेश दे सकता है, जैसा कि 1974 में राष्ट्रपति पाम्पिदू ने प्रधानमंत्री मेस्मेर को दिया। पंचम गणतंत्र का प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भाँति संसदीय शासन पद्धति का सर्वशक्तिशाली पदाधिकारी के अधीन एक कार्यपालक पदाधिकारी है। प्रसिद्ध फ्रेंच दार्शनिक एण्ड्रे सिजफ्राइड ने तो मंत्रियों को राष्ट्रपति का 'Clerk' और प्रधानमंत्री को 'Head Clerk' बताया है। सिजफ्राइड के मूल्यांकन से पूर्णतया सहमत न होते हुए भी यह तो मानना ~~ही होगा कि राष्ट्रपति की तुलना में~~ में तनिक भी अतिश्योक्ति नहीं होगी कि राष्ट्रपति की तुलना में प्रधानमंत्री की स्थिति निश्चित रूप से निर्बल है।